इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 349] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 21 जुलाई 2011—आषाढ़ 30, शक 1933

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2011

क्र. डी-15-26-2010-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 72 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा कृषि उपज मंडी समिति, टीकमगढ़ एवं खरगापुर हेतु क्रमांक-डी-15-02-2008-चौदह-3, दिनांक 29 अक्टूबर 2009, कृषि उपज मंडी समिति, चौरई एवं अमरवाड़ा हेतु क्रमांक डी-15-32/2010/चौदह-3, दिनांक 7 दिसम्बर 2010, कृषि उपज मंडी समिति, गरोठ हेतु क्रमांक डी-15-33/2010/चौदह-3, दिनांक 7 दिसम्बर 2010, कृषि उपज मंडी समिति, डबरा एवं भितरवार हेतु क्रमांक डी-15-34/2010/चौदह-3, दिनांक 7 दिसम्बर 2010, कृषि उपज मंडी समिति, सुसनेर हेतु क्रमांक डी-15-35/2010/चौदह-3, दिनांक 7 दिसम्बर 2010, कृषि उपज मंडी समिति, शामगढ़ हेतु क्रमांक डी-15-04/2010/चौदह-3, दिनांक 22 मार्च 2010 एवं कृषि उपज मंडी समिति, सोयतकला हेतु क्रमांक डी-15-26-2010-चौदह-3, दिनांक 7 जनवरी 2011 को भारसाधक मंडी समितियों के गठन हेतु अधिसूचना जारी की गयी.

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम की धारा 13(2) परन्तुक के प्रावधान अनुसार कृषि उपज मंडी समितियों की निर्वाचित समितियों का कार्यकाल दिनांक 22 जुलाई 2011 को समाप्त होने से ऐसी दशा में मंडी अधिनियम की धारा 57 के उपबन्ध लागू होंगे.

चूंकि, उपरोक्त उल्लेखित अधिसूचनाओं द्वारा गठित भारसाधक समितियों में निर्वाचित प्रतिनिधियों को अध्यक्ष एवं सदस्यों के रूप में भारसाधक समिति में मनोनीत किया गया है एवं निर्वाचित अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल मंडी अधिनियम की धारा 13(2) परन्तुक, अनुसार 22 जुलाई 2011 को पूर्ण होने से ऐसी दशा में मंडी अधिनियम धारा के उपबन्ध 57 लागू होंगे. अतः एतद्द्वारा, कृषि उपज मंडी समिति, टीकमगढ़, खरगापुर, चौरई, अमरवाड़ा, गरोठ, डबरा, भितरवार, सुसनेर, शामगढ़ तथा सोयतकला की उपरोक्त उल्लेखित अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुये उक्त भारसाधक समितियों को 22 जुलाई 2011 से समाप्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2011

क्र. डी-15-26-2010-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21 जुलाई 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal, the 21st July 2011

No. D-15-26-2010-XIV-3.—WHEREAS, State Government in exercise of its powers conferred by sub-section (2) of Section 72 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) has constituted committee-in-charge for Krishi Upaj Mandi Samiti Tikamgarh and Khargapur *vide* notification Number D-15-02-2008-XIV-3, dated 29th October 2009, for Krishi Upaj Mandi Samiti Chouri and Amarwarah *vide* notification Number D-15-32-2010-XIV-3, dated 7th December 2010, for Krishi Upaj Mandi Samiti Garoth *vide* notification Number D-15-33-2010-XIV-3, dated 7th December 2010, for Krishi Upaj Mandi Samiti Dabra and Bheterbar *vide* notification Number D-15-34-2010-XIV-3, dated 7th December 2010, for Krishi Upaj Mandi Samiti Susner *vide* notification Number D-15-35-2010-XIV-3, dated 7 December 2010, for Krishi Upaj Mandi Samiti Shamgarh *vide* notification Number D-15-04-2010-XIV-3, dated 22nd March 2010 and for Krishi Upaj Mandi Samiti Soytkalan *vide* notification Number D-15-26-2010-XIV-3, dated 7th January 2011.

Further, as per the provisions of proviso of sub-section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhinayam, the tenure of elected committees of the Krishi Upaj Mandi Samitis is completing on July 22, 2011 and in such an event the provisions of Section 57 of the of Madhya Pradesh Krishi paj Mandi Adhiniyam shall apply.

As, *vide* above referred notifications, the elected chairman and members ware nominated in the committee-in-charge, and their tenure as per the proviso of sub-section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam is completing on July 22, 2011. In such and event the provisions of Section 57 of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Ahiniyam shall apply and therefore with effect from July 22, 2011, State Government, hereby repeal its above referred notifications and thereby terminate the committee-in-charge of Krishi Upaj Mandi Samiti Tikamgarh, Khargapur, Chouri, Amarwarah, Garoth, Dabra, Bheterbar, Susner, Shamgarh and Soytkalan.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJAY SINGH GANGWAR, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.